18-02-2024

नोखरा सौर परियोजना का उद्घाटन

सुर्खियों में क्यों?

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 फरवरी 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की 300 मेगावॉट की नोखरा सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित किये।

संबंधित प्रमुख तथ्य

- राजस्थान के बीकानेर जिले में 1,550 एकड़ में फैली यह परियोजना 1,803 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सीपीएसयू योजना (चरण- II) के तहत क्रियान्वित की जा रही है।
- प्रति वर्ष 73 करोड़ यूनिट के उत्पादन के साथ यह परियोजना न केवल 1.3 लाख से अधिक घरों को रोशन करेगी, बल्कि हर साल 6 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन को सीमित करने में भी मदद करेगी। आगे चलकर इस परियोजना की मदद से 25 वर्षों की अवधि में CO_2 उत्सर्जन को 15 मिलियन टन तक सीमित करने की उम्मीद है।
- सरकार की महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इस परियोजना में 13 लाख से अधिक सौर पीवी मॉड्यूल स्थापित किए गए हैं। इससे भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती मिलेगी।

एनटीपीसी के बारे में

- एनटीपीसी लिमिटेड 74 गीगावॉट क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली ईकाई है जो भारत में उत्पादित कुल बिजली का 25% योगदान देती है।
- ध्यान रहे, वर्ष 2032 तक एनटीपीसी अपनी गैर-जीवाश्म-आधारित बिजली क्षमता को कंपनी के पोर्टफोलियो के 45%-50% तक विस्तार देना चाहता है। इसमें 130 गीगावॉट के कुल पोर्टफोलियो के साथ 60 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता शामिल होगी।

- एनटीपीसी ने भारत के नेट जीरो प्रयासों को मजबूती देने के लिए नीति आयोग के साथ साझेदारी की है।
- एनजीईएल एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसका लक्ष्य एनटीपीसी की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा का ध्वजवाहक बनना है। इसकी परिचालन ग्रीन एनर्जी कैपिसिटी 3.4 गीगावॉट से अधिक है और 26 गीगावॉट प्रक्रिया में है, जिसमें 7 गीगावॉट का परिचालन शुरू होने वाला है।

भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति

- नवीकरणीय ऊर्जा 2022 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है।

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)

- दिसंबर 2023 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संयुक्त स्थापित क्षमता 180.79 गीगावॉट है जिसमें सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 73.31 गीगावॉट हो गई है।
- ध्यातव्य रहे, भारत ने वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से स्थापित क्षमता के लिए 500 गीगावॉट का लक्ष्य निर्धारित किया है|
- जून 2022 तक राजस्थान और गुजरात बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले शीर्ष राज्य थे| इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है।

सौर ऊर्जा से संबंधित सरकार की पहलें

- सोलर पार्क योजना (Solar Park Scheme) : सोलर पार्क योजना विभिन्न राज्यों में लगभग 500 मेगावाट क्षमता के कई सोलर पार्क स्थापित करने पर लक्षित है। भारत में 37.49 गीगावॉट की कुल क्षमता वाले 50 सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है।
- रूफटॉप सोलर योजना (Rooftop Solar Scheme): इस योजना का उद्देश्य घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा का दोहन करना है।
- राष्ट्रीय सौर मिशन (National Solar Mission) : यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौती को संबोधित करते हुए पारिस्थितिक रूप से सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार और राज्य सरकारों की एक प्रमुख पहल है।
- सृष्टि योजना : (SRISTI : Sustainable rooftop implementation of Solar transfiguration of India) योजना भारत में रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने पर लक्षित है।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance- ISA): अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्राँस द्वारा सह-स्थापित सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के वितरण में वृद्धि के लिये एक सक्रिय तथा सदस्य-संचालित एवं सहयोगी मंच है।
- किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) : नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ-ग्रिड सौर पंपों की स्थापना का समर्थन करने और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता कम करने के लिये पीएम-कुसुम योजना कार्यान्वित की जा रही है।

उत्तराखंड में नज़ूल भूमि पर विध्वंस अभियान

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के हल्द्वानी में प्रशासन द्वारा कथित तौर पर नज़ूल भूमि पर एक मस्जिद और मदरसे की जगह पर अतिक्रमण हटाने के लिये विध्वंस अभियान (Demolition Drive) चलाने के बाद हिंसा भड़क गई। गौरतलब है कि इस जगह पर निर्मित मस्जिद और मदरसे नगर परिषद की नज़ूल भूमि के रूप में पंजीकृत है।

नज़ूल भूमि क्या होता है?

- नज़ूल भूमि का स्वामित्व सरकार के पास है लेकिन अक्सर इसे सीधे राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं किया जाता है। राज्य आम तौर पर ऐसी भूमि को किसी भी इकाई को 15 से 99 वर्ष के बीच एक निश्चित अवधि के लिये पट्टे पर आवंटित करता है।
- यदि पट्टे की अवधि समाप्त हो रही है, तो कोई व्यक्ति स्थानीय विकास प्राधिकरण के राजस्व विभाग को एक लिखित आवेदन जमा करके पट्टे को नवीनीकृत करने के लिये प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है। सरकार पट्टे को नवीनीकृत करने या इसे रद्द करने- नज़ूल भूमि वापस लेने के लिये स्वतंत्र है।
- सरकार आम तौर पर नज़ूल भूमि का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्यों, जैसे- स्कूल, अस्पताल, ग्राम पंचायत भवन आदि के निर्माण के लिये करती है।
- नज़ूल भूमि से संबंधित निर्णय नज़ूल भूमि (स्थानांतरण) नियम, 1956 के माध्यम से लिया जाता है|
- विदित है कि नज़ूल भूमि के रूप में उस भूमि के रूप में चिन्हित किया गया है जो ब्रिटिश शासन में अंग्रेजों द्वारा युद्ध के दौरान राजा-रजवाड़े को परास्त करके उनसे उनकी ज़मीन छीन लेते थे।
- भारत को आज़ादी मिलने के बाद अंग्रेज़ों ने इन ज़मीनों को खाली कर दिया। लेकिन राजाओं और राजघरानों के पास अक्सर पूर्व स्वामित्व साबित करने के लिये उचित दस्तावेज़ों की कमी होती थी, इन ज़मीनों को नज़ूल भूमि के रूप में चिह्नित किया गया था- जिसका स्वामित्व संबंधित राज्य सरकारों के पास था।

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)

किसान आंदोलन और MSP का मुद्दा

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिये कानूनी गारंटी की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान 'दिल्ली चलो' विरोध प्रदर्शन में दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं।
- इससे पहले वर्ष 2020 में किसानों ने, दिल्ली की सीमाओं पर सरकार द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों (कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्द्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020,मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा विधेयक, 2020, आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020) का विरोध किया गया था, जिसके कारण वर्ष 2021 में उन्हें निरस्त कर दिया गया।

किसान आंदोलन के कारण

- सभी फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी के लिये एक कानून और डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसल की कीमतों का निर्धारण करना है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार सरकार को MSP को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम-से-कम 50% अधिक बढ़ाना चाहिये। इसे C2+ 50% फॉर्मूला के रूप में भी जाना जाता है। इसमें किसानों को 50% रिटर्न देने के लिये पूंजी की अनुमानित लागत और भूमि पर किराया (जिसे 'सी2' कहा जाता है) शामिल है।
- किसानों और मज़दूरों की पूर्ण क़र्ज़ माफी हो|
- साथ ही भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 का कार्यान्वयन हो, जिसमें अधिग्रहण से पहले किसानों से लिखित सहमति और संग्राहक दर (collector rate) से चार गुना मुआवज़ा देने का प्रावधान है। ध्यान रहे, संग्राहक दर (collector rate) वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर किसी संपत्ति को खरीदते या बेचते समय पंजीकृत किया जा सकता है। वे संपत्तियों के कम मूल्यांकन और कर चोरी को रोकने के लिये एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करते हैं।
- वर्ष 2020 में दिल्ली विरोध प्रदर्शन के दौरान मरने वाले किसानों के लिये मुआवज़ा और अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी हत्याकांड के अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए|
- भारत को विश्व व्यापार संगठन (WTO) से बाहर हो जाना चाहिये और सभी मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) पर रोक लगा देनी चाहिये।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्या होता है?

- 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (Minimum Support Prices), किसी भी फसल का वह 'न्यूनतम मूल्य' होता है, जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है।

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)

- MSP का निर्धारण 'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' (Commission for Agricultural Costs and Prices– CACP) की संस्तुति पर, एक वर्ष में दो बार किया जाता है। इसकी गणना, किसानों की उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना कीमत के आधार पर की जाती है।
- वर्तमान में, CACP, 22 अधिदिष्ट फसलों (Mandated Crops) के लिये MSP और गन्ने के लिये उचित तथा लाभकारी मूल्य (FRP) की सिफारिश किया है। अधिदिष्ट फसलों में खरीफ सीज़न की 14 फसलें, 6 रबी फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। 22 अधिदिष्ट फसलों (Mandated Crops) में 7 अनाज (धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी), 5 दालें (चना, अरहर/तूर, मूंग, उरद और मसूर), 7 तिलहन (मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल और रामतिल) के अलावा कच्चा कपास, कच्चा जूट और नारियल (कोपरा) को शामिल किया गया है|

MSP की आवश्यकता क्यों?

- वर्ष 2014 और वर्ष 2015 में लगातार दो सूखे (Droughts) की घटनाओं के कारण किसानों को वर्ष 2014 के बाद से वस्तु की कीमतों में लगातार गिरावट का सामना करना पड़ा।
- विमुद्रीकरण (Demonetisation) और 'वस्तु एवं सेवा कर' ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मुख्य रूप से गैर-कृषि क्षेत्र के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
- वर्ष 2016-17 के बाद अर्थव्यवस्था में जारी मंदी और उसके बाद कोविड महामारी के कारण अधिकांश किसानों के लिये परिदृश्य विकट बना हुआ है।

- डीज़ल, बिजली एवं उर्वरकों के लिये उच्च इनपुट कीमतों ने उनके संकट को और बढ़ाया है।
- यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले, जिससे कृषि संकट एवं निर्धनता को कम करने में मदद मिलती है। यह उन राज्यों में विशेष रूप से प्रमुख है जहाँ कृषि आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है।

MSP से संबंधित चुनौतियाँ

- 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) के साथ प्रमुख समस्या गेहूं और चावल को छोड़कर अन्य सभी फसलों की खरीद के लिए सरकारी मशीनरी की कमी है। गेहूं और चावल की खरीद 'भारतीय खाद्य निगम' (FCI) के द्वारा 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (PDS) के तहत नियमित रूप से की जाती है।

- चूंकि राज्य सरकारों द्वारा अंतिम रूप से अनाज की खरीद की जाती है और जिन राज्यों में अनाज की खरीद पूरी तरह से सरकार द्वारा की जाती हैं, वहां के किसानो को अधिक लाभ होता है। जबकि कम खरीद करने वाले राज्यों के किसान अक्सर नुकसान में रहते हैं।
- MSP आधारित खरीद प्रणाली बिचौलियों, कमीशन एजेंटों और APMC अधिकारियों पर भी निर्भर होती है, और छोटे किसानों के लिए इन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है।
- MSP योजना के कार्यान्वयन में त्रुटियाँ मौजूद हैं| शांता कुमार समिति की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को MSP का मात्र 6% ही प्राप्त होता है अथार्त देश के 94% किसान MSP के लाभ से वंचित हैं।
- सरकार को MSP पर सभी उपज खरीदने का आदेश देने से अत्यधिक उत्पादन हो सकता है,

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)

जिससे संसाधनों की बर्बादी और भंडारण की समस्या हो सकती है। साथ ही यह फसल पैटर्न को भी विकृत (distort) कर सकता है क्योंकि किसान अन्य फसलों की तुलना में MSP वाली फसलों को प्राथमिकता दे सकते हैं | इसके व्यापक सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं, जो खाद्य सुरक्षा, जैवविविधता, मिट्टी के स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्थिरता तथा समग्र आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं।

- MSP किसानों के बीच आपसी भेदभाव का कारण बन सकती है | ऐसा कानून समर्थित फसलें उगाने वाले किसानों और अन्य फसलें उगाने वाले किसानों के बीच असमानता पैदा कर सकता है।
- सभी फसलों को MSP पर खरीदने की बाध्यता के कारण बकाया भुगतान और राजकोषीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

आगे की राह

- फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और चावल व गेहूँ के प्रभुत्व को कम करने के लिये सरकार धीरे-धीरे MSP समर्थन हेतु पात्र फसलों की सूची का विस्तार कर सकती है। इससे किसानों को अधिक विकल्प मिलेंगे और बाज़ार की मांग के अनुरूप फसलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा।
- MSP मुद्दे का समाधान करने के लिये एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें किसानों के हितों और व्यापक आर्थिक निहितार्थ कोई शामिल किया जाना चाहिये।
- विशेषज्ञ भी केवल MSP पर निर्भर रहने के बजाय किसानों को सीधे पैसा देने का सुझाव देते हैं। किसानों को उनकी आय बढ़ाने और वित्तीय तनाव कम करने के लिये सीधे नकद भुगतान प्रदान किया जाना चाहिए|
- ऐसी बीमा योजनाएँ शुरू करना जो फसल की विफलता, मूल्य अस्थिरता या प्रतिकूल मौसमीय स्थिति जैसे कारकों के कारण किसानों की आय के नुकसान की भरपाई करती हैं।
- कृषि आदानों (inputs), उपकरणों, प्रौद्योगिकी अपनाने और उच्च मूल्य वाली फसलों या वैकल्पिक आजीविका में विविधीकरण का समर्थन करने के लिये सब्सिडी या अनुदान की पेशकश किया जाना चाहिए।
- सरकार MSP और किसानों द्वारा बेची जाने वाली दर के बीच मूल्य अंतर का भुगतान करने पर भी विचार कर सकती है। हरियाणा और मध्य प्रदेश ने भावांतर भरपाई योजना (मूल्य-अंतरण मुआवज़ा योजना) नामक योजना के तहत इस विकल्प को लागू किया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड योजनाको रद्द किया

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने चुनावी बॉण्ड योजना (Electoral Bond Scheme- EBS), जो राजनीतिक दलों को अनाम तरीके से दान प्राप्त की अनुमति देती थी, को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार चुनावी बॉण्ड संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना

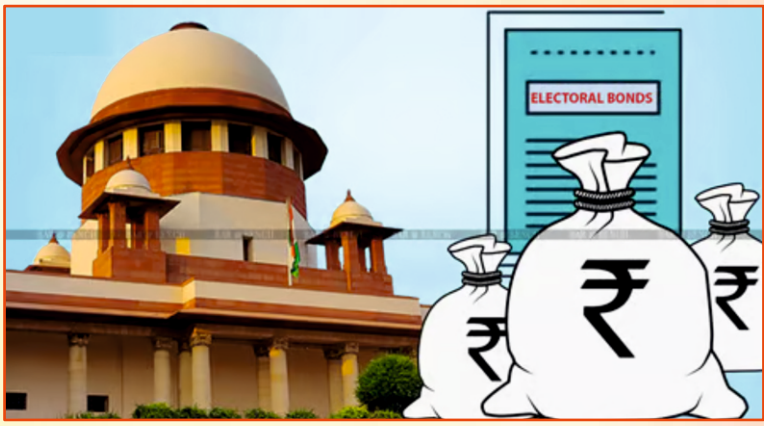

के अधिकार का उल्लंघन करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर ज़ोर दिया कि सूचित चुनावी निर्णयों के लिये राजनीतिक दलों को प्राप्त फंडिंग के संबंध में पारदर्शिता महत्त्वपूर्ण है।

- SC ने भारतीय स्टेट बैंक को किसी भी अन्य चुनावी बॉण्ड को जारी करने पर तुरंत रोक लगाने और 12 अप्रैल, 2019 से अब तक राजनीतिक दलों द्वारा खरीदे गए ऐसे बॉण्ड का विवरण भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। इस तरह के विवरण में प्रत्येक बॉण्ड की खरीद की तिथि, बॉण्ड के खरीदार का नाम और खरीदे गए बॉण्ड का मूल्य शामिल होना चाहिये। बाद में ECI 13 मार्च, 2024

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)

तक SBI द्वारा साझा की गई ऐसी सभी जानकारी को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

- गौरतलब है कि SBI चुनावी बॉण्ड जारी करने और भुनाने के लिये अधिकृत एकमात्र बैंक है। इस योजना के तहत किये गए दान पर 100% कर छूट का लाभ मिलता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने EBS और वित्त अधिनियम, 2017; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, (RPA) 1951; आयकर अधिनियम, 1961 और कंपनी अधिनियम, 2013 में किये गए संशोधनों को असंवैधानिक घोषित किया।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने राजनीतिक दलों की फंडिंग के लिये महत्त्वपूर्ण कई कानूनों में वित्त अधिनियम, 2017 से पहले के विधिक ढाँचे को बहाल कर दिया।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29C में राजनीतिक दलों को दानकर्त्ता की गोपनीयता के साथ सूचना के अधिकार को संतुलित करते हुए 20,000 रुपए से अधिक के दान का खुलासा करना अनिवार्य है। SC ने पारदर्शिता और गोपनीयता संतुलन के महत्त्व पर ज़ोर देते हुए संशोधन को खारिज कर दिया गया।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182 ने कॉर्पोरेट दान को प्रतिबंधित कर दिया और एक सीमा निर्धारित (पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत लाभ का 7.5%) की तथा प्रकटीकरण / खुलासे की आवश्यकताओं को लागू किया। SC ने चुनावों पर अनियंत्रित कॉर्पोरेट प्रभाव संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए संशोधन को रद्द कर दिया गया।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13A(b) के तहत 20,000 रुपए से अधिक के दान का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है। SC ने मतदाताओं के सूचना के अधिकार को बरकरार रखते हुए संशोधन को रद्द कर दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का पता लगाने के लिये आनुपातिकता परीक्षण (Proportionality Test) लागू किया कि इस योजना ने मतदाताओं के सूचना के अधिकार और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता का उल्लंघन किया है अथवा नहीं।
- गौरतलब है कि आनुपातिकता परीक्षण राज्य की कार्रवाई और व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन का मूल्यांकन करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण न्यायिक मानक के रूप में कार्य करता है।
- ध्यान रहे, आनुपातिकता परीक्षण को के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, 2017 के निर्णय में प्रमुखता दी गई, जिसमें गोपनीयता की पुष्टि मौलिक अधिकार के रूप में की गई।

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)

- इस सन्दर्भ में सरकार ने तर्क दिया कि काले धन पर अंकुश लगाना और दानकर्त्ता की गोपनीयता की रक्षा करना राज्य के वैध हित हैं। दाताओं की गोपनीयता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में बनाए रखने के लिये दाता अनामिकता (दाता से संबंधी जानकारी को उजागर न करना) को अनिवार्यता के रूप में प्रस्तुत किया गया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने एक वैध राज्य उद्देश्य के रूप में दानकर्त्ता की अनामिकता को खारिज कर दिया और अनामिकता के बजाय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मतदाताओं के सूचना के अधिकार को प्राथमिकता दी। न्यायालय ने "दोहरी आनुपातिकता" परीक्षण की अवधारणा को लागू किया जिसके तहत प्रतिस्पर्द्धी मौलिक अधिकारों, सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार को संतुलित करना शामिल है।

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)